<u>महत्वपूर्ण</u>

प्रेषक,
पार्थ सारथी सेन शर्मा,
अपर मुख्य सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,
सचिव,
उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग,
प्रयागराज।

बेसिक शिक्षा अनुभाग-5 लखनऊ: दिनांक 02 सितम्बर, 2026

विषयः बेसिक शिक्षा विभाग में कार्यरत शिक्षकों एवं विशेष शिक्षक (CWSN) हेतु विशेष अध्यापक पात्रता परीक्षा (Special TET) आयोजित कराने हेतु कार्ययोजना के संबंध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक उप सचिव, उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग, प्रयागराज के पत्रांक-1770/27(2026)/अधियाचन/2026-27 दिनांक 17.08.2026 का कृपया संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके द्वारा बेसिक शिक्षा विभाग में कार्यरत शिक्षकों एवं विशेष शिक्षक (CWSN) हेतु विशेष अध्यापक पात्रता परीक्षा (Special TET) परीक्षा सम्बन्धी आयोग की बैठक दिनांक 14.08.2026 में अनुमोदित कार्ययोजना उपलब्ध कराते हुए अग्रेतर आवश्यक कार्यवाही कराने का अनुरोध किया गया है।

2- प्रश्नगत प्रकरण के संबंध में उप सचिव, उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग, प्रयागराज के पत्र दिनांक 17.08.2026 द्वारा उपलब्ध कराये गये कार्ययोजना / प्रस्ताव के क्रम में शासन द्वारा अनुमोदित **बेसिक शिक्षा विभाग में कार्यरत शिक्षकों एवं विशेष शिक्षक (CWSN) हेतु विशेष अध्यापक पात्रता परीक्षा (Special TET) परीक्षा आयोजित कराने हेतु कार्ययोजना निम्नवत है:-**

(1) विशेष अध्यापक पात्रता परीक्षा (Special TET) के आयोजन की पृष्ठभूमि-

- मा० उच्चतम न्यायालय ने सिविल अपील संख्या-1385/2025 अंजुमन इशात-ए-तालीम ट्रस्ट बनाम महाराष्ट्र राज्य व अन्य तथा उसके साथ सम्बद्ध अन्य सिविल अपील्स में दिनांक 01.09.2025 को समस्त शिक्षकों हेतु टी०ई०टी० अनिवार्य किया है तथा मा० उच्चतम न्यायालय द्वारा पारित आदेश दिनांक 01.09.2025 के विरुद्ध मा० उच्चतम

न्यायालय में योजित पुनर्विचार याचिका डायरी संख्या-53434/2025 उ०प्र० राज्य बनाम अंजुमन इशात-ए-तालीम ट्रस्ट में मा० उच्चतम न्यायालय द्वारा पारित आदेश दिनांक 29 मई, 2026 के अनुसार दिनांक 31 अगस्त, 2028 तक सभी कार्यरत अध्यापकों को उपर्युक्त अनिवार्य शिक्षक पात्रता परीक्षा उत्तीर्ण करना आवश्यक है।

शासन द्वारा मा० उच्चतम न्यायालय द्वारा पारित उपर्युक्त आदेश दिनांक 29 मई, 2026 से बड़ी संख्या में शिक्षकों के प्रभावित होने के दृष्टिगत प्राथमिक स्तर एवं उच्च प्राथमिक स्तर पर कार्यरत शिक्षकों हेतु विशेष अध्यापक शिक्षक पात्रता परीक्षा (Special TET) आयोजित कराने का निर्णय लिया गया है।

- मा० उच्चतम न्यायालय में योजित रिट याचिका संख्या-132/2016 रजनीश कुमार पाण्डेय व अन्य बनाम यूनियन ऑफ इण्डिया व अन्य में पारित आदेश दिनांक 07.03.2025 के अनुपालन हेतु प्राथमिक एवं उच्च प्राथमिक स्तर पर लगभग 2500 विशेष शिक्षक / सहायक अध्यापक (CWSN) के लिए भी विशेष अध्यापक पात्रता परीक्षा (Special TET) आयोजित कराने का निर्णय लिया गया है।

<u>(2) अनुप्रयोज्यता (Applicability) :-</u> उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा प्राथमिक स्तर तथा उच्च प्राथमिक स्तर के विद्यालयों में कार्यरत शिक्षक/सहायक अध्यापक तथा विशेष शिक्षक (CWSN) हेतु आयोजित की जाने वाली विशेष अध्यापक पात्रता परीक्षा (Special TET) में निम्नलिखित विद्यालय में कार्यरत शिक्षक आवेदन हेतु पात्र होंगे :-

<u>2.1 प्राथमिक स्तर :-</u>

I. ऐसे सभी विद्यालय जो उत्तर प्रदेश बेसिक शिक्षा परिषद द्वारा संचालित हो,
II. स्थानीय निकाय एवं जिन्हें राज्य सरकार / बेसिक शिक्षा परिषद द्वारा समय-समय पर सम्बद्धता / मान्यता प्रदान की गयी हो,
III. जो राज्य सरकार द्वारा सहायता प्राप्त हो,
IV. स्पेशल एजूकेटर्स प्राथमिक स्तर (कक्षा 1 से 5 तक)

<u>2.2 उच्च प्राथमिक स्तर :-</u>

I. ऐसे सभी विद्यालय जो उत्तर प्रदेश बेसिक शिक्षा परिषद द्वारा संचालित हो,
II. स्थानीय निकाय एवं जिन्हें राज्य सरकार/बेसिक शिक्षा परिषद /

माध्यमिक शिक्षा परिषद द्वारा समय-समय पर संचालन हेतु मान्यता / सम्बद्धता प्रदान की गयी हो,

III.जो राज्य सरकार द्वारा सहायता प्राप्त हो,

IV. स्पेशल एजूकेटर्स उच्च प्राथमिक स्तर (कक्षा 6 से 8 तक)

(3) अनिवार्य अर्हता :-

3.1 प्राथमिक स्तर/उच्च प्राथमिक स्तर :-

- प्राथमिक स्तर के विद्यालयों में कार्यरत समस्त शिक्षक प्राथमिक स्तर की विशेष अध्यापक पात्रता परीक्षा (Special TET) हेतु अर्ह होंगे।
- उच्च प्राथमिक स्तर / जूनियर हाईस्कूल स्तर के विद्यालयों में कार्यरत समस्त शिक्षक उच्च प्राथमिक स्तर की विशेष अध्यापक पात्रता परीक्षा (Special TET) हेतु अर्ह होंगे।

3.2 विशेष शिक्षक (CWSN) :-

- **स्पेशल एजूकेटर्स प्राथमिक स्तर (कक्षा 1 से 5 तक) हेतु विशेष शिक्षक (CWSN) :-**प्राथमिक स्तर के विद्यालयों में संविदा/डेलीवेजेज पर कार्यरत ऐसे विशेष शिक्षक (CWSN) अर्ह होंगे जिन्होंने स्नातक परीक्षा उत्तीर्ण के साथ-साथ भारतीय पुनर्वास परिषद (RCI) से मान्यता प्राप्त, डी०एड० विशेष शिक्षा अथवा समकक्ष परीक्षा उत्तीर्ण की हो तथा स्पेशल एजूकेटर्स के पास एक्टिव सी०आर०आर० नम्बर के साथ भारतीय पुनर्वास परिषद का पंजीकरण प्रमाण-पत्र होना अनिवार्य होगा।
- **स्पेशल एजूकेटर्स उच्च प्राथमिक स्तर (कक्षा 6 से 8 तक) हेतु विशेष शिक्षक (CWSN) :-** उच्च प्राथमिक स्तर के विद्यालयों में संविदा/डेलीवेजेज पर कार्यरत ऐसे विशेष शिक्षक (CWSN) अर्ह होंगे जिन्होंने स्नातक परीक्षा उत्तीर्ण के साथ-साथ भारतीय पुनर्वास परिषद (RCI) से मान्यता प्राप्त, बी०एड० विशेष शिक्षा अथवा समकक्ष परीक्षा उत्तीर्ण की हो तथा स्पेशल एजूकेटर्स के पास एक्टिव सी०आर०आर० नम्बर के साथ भारतीय पुनर्वास परिषद का पंजीकरण प्रमाण-पत्र होना अनिवार्य होगा।
- संविदा/डेलीवेजेज पर कार्यरत स्पेशल एजुकेटर्स को विशेष अध्यापक पात्रता परीक्षा (Special TET) में प्रतिभाग हेतु अधिकतम 60 वर्ष (परीक्षा आयोजन की तिथि तक) की आयु सीमा अनुमन्य किया जायेगा।

(4) परीक्षा योजना :-

I. परीक्षा की अवधि 2:30 घण्टा अर्थात 150 मिनट होगी।

II. समस्त प्रश्न बहुविकल्पीय (MCQ) होंगे, प्रत्येक प्रश्न के चार विकल्प होंगे।

III. प्रश्नगत पात्रता परीक्षा में नकारात्मक मूल्यांकन (Negative Marking) नहीं होगा।

IV. प्रश्नों की संख्या 150 होगी, प्रत्येक प्रश्न 01 (एक) अंक का होगा।

V. प्रश्न-पत्र का माध्यम हिन्दी तथा अंग्रेजी होगा (भाषा के विषयों को छोड़कर)

(5) अर्हक अंक :-

- विशेष अध्यापक पात्रता परीक्षा (Special TET) में शामिल होने वाले अभ्यर्थियों के अंको का विवरण वेबसाइट पर जारी किया जायेगा। पूर्णांक 150 में से न्यूनतम 90 अर्हक अंक अर्थात 60 प्रतिशत और अधिक अंक प्राप्त करने वाले सामान्य वर्ग के अभ्यर्थियों को पात्रता प्रमाण-पत्र जारी किया जायेगा।
- विशेष अध्यापक पात्रता परीक्षा (Special TET) में शामिल होने वाले अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/अन्य पिछड़ा वर्ग / स्वतंत्रता संग्राम सेनानी आश्रित/भूतपूर्व सैनिक स्वयं / विकलांग श्रेणी के अभ्यर्थियों के लिए न्यूनतम अर्हक अंक 55 प्रतिशत अर्थात पूर्णांक 150 में से 82 अंक होगा।
- विशेष अध्यापक पात्रता परीक्षा (Special TET) में शामिल होने वाले आर्थिक रूप से कमजोर अनारक्षित श्रेणी के अभ्यर्थियों के लिए न्यूनतम अर्हक अंक 55 प्रतिशत अर्थात पूर्णांक 150 में से 82 अंक होगा।
- अध्यापक पात्रता परीक्षा (STET) विशेष शिक्षक (CWSN) में अनारक्षित श्रेणी तथा आरक्षित श्रेणी के अर्हक अंक वही होंगे जो उपर्युक्त के लिए निर्धारित है।

(6) पाठ्यक्रम :-

विशेष अध्यापक पात्रता परीक्षा (Special TET) में प्राथमिक स्तर (कक्षा 1 से 5 तक) हेतु लिखित पात्रता परीक्षा की विषय सूची, प्रश्नों की संख्या एवं अंक निम्नानुसार प्रस्तावित है :-

<u>संरचना एवं विषय सूची (सभी अनिवार्य)</u>

क्र. सं.	विषय वस्तु	प्रश्नों की संख्या	अंक
1.	बाल विकास एवं शिक्षण विधि (अनिवार्य)	30 MCQ	30
2.	भाषा प्रथम (हिन्दी) (अनिवार्य)	30 MCQ	30
3.	भाषा द्वितीय (अंग्रेजी/उर्दू/संस्कृत) (अनिवार्य)	30 MCQ	30
4.	गणित (अनिवार्य)	30 MCQ	30
5.	पर्यावरणीय अध्ययन (अनिवार्य)	30 MCQ	30
कुल		150 MCQ	150

विशेष अध्यापक पात्रता परीक्षा (Special TET) में उच्च प्राथमिक स्तर (कक्षा 6 से 8 तक) हेतु लिखित पात्रता परीक्षा की विषय सूची, प्रश्नों की संख्या एवं अंक निम्नानुसार प्रस्तावित है :-

<u>संरचना एवं विषय सूची (सभी अनिवार्य)</u>

क्र. सं.	विषय वस्तु	प्रश्नों की संख्या	अंक
1.	बाल विकास एवं शिक्षण विधि (अनिवार्य)	30 MCQ	30
2.	भाषा प्रथम (हिन्दी) (अनिवार्य)	30 MCQ	30
3.	भाषा द्वितीय (अंग्रेजी/उर्दू/संस्कृत) (अनिवार्य)	30 MCQ	30
4.	(क) गणित एवं विज्ञान शिक्षक के लिए गणित/विज्ञान (ख) सामाजिक अध्ययन या सामाजिक विज्ञान शिक्षक के लिए सामाजिक अध्ययन (ग) अन्य किसी शिक्षक के लिए (क) अथवा (ख) कोई भी	60 MCQ	30
	कुल	150 MCQ	150

<u>(7) ऑनलाइन आवेदन :-</u>

One Time Registration (OTR) के बाद प्रश्नगत परीक्षा हेतु ऑनलाइन आवेदन किया जा सकेगा।

<u>(8) आवेदन शुल्क :-</u> उक्त परीक्षा हेतु आवेदन शुल्क पूर्व में आयोजित परीक्षा के समान निर्धारित किया जायेगा।

3- अत: इस संबंध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि कृपया शासन द्वारा अनुमोदित उपर्युक्त प्रस्तर-2 में अंकित कार्ययोजना के संबंध में शीर्ष प्राथमिकता के आधार पर विज्ञापन प्रकाशित कर व विशेष अध्यापक पात्रता परीक्षा (Special TET) सम्पन्न कराया जाना सुनिश्चित करने का कष्ट करें ।

भवदीय,

Digitally signed by
PARTHA SARTHI SENSHARMA
Date: 02-09-2026 15:16:35

(पार्थ सारथी सेन शर्मा)
अपर मुख्य सचिव।

<u>संख्या व दिनांक तदैव।</u>
<u>प्रतिलिपि:</u> निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. प्रमुख सचिव, उच्च शिक्षा विभाग, उ0प्र0 शासन।
2. महानिदेशक, स्कूल शिक्षा, उत्तर प्रदेश लखनऊ।
3. शिक्षा निदेशक (बेसिक), उ0प्र0 लखनऊ।
4. सचिव, उत्तर प्रदेश, बेसिक शिक्षा परिषद, प्रयागराज।

आज्ञा से,
ह0/-
(लाल मणि यादव)
संयुक्त सचिव।